

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक : 423


दिनांक : 09-02-20

कोटेशन आमंत्रण सूचना

आयोग मे विभिन्न साईज के कपडे यथा-पर्दे, कवर, टॉवल, नेपकीन, चद्दर, गर्म चद्दर, एवं वाहन दरी आदि की समय-समय पर धुलाई मय सामग्री के कार्य के लिए एक वर्ष तक की अवधि के लिए कोटेशन आमंत्रित है। धुलाई कार्य की अनुमानित लागत 95000/-रूपयें वार्षिक मय सामग्री के है। कोटेशन में कपडों की धुलाई की पृथक-पृथक दरें निम्नांकित सारणी में उनके नाम के सम्मुख अंकित करनी होगी। कोटेशन सूचना आयोग की www.rpsc.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध है :-

क्र. स.	आईटम का नाम	दर अंको में (रु.) (समस्त करों सहित)	दर शब्दों में (रु.) (समस्त करों सहित)
1.	दरवाजे एवं खिडकी के पर्दे		
2.	टॉवल		
3.	नेपकीन		
4.	सोफा थ्री सीटर कवर सेट		
5.	सोफा टू सीटर कवर सेट		
6.	सोफा सिंगल शीट कवर		
7.	चद्दर सिंगल (बेडशीट)		
8.	चद्दर डबल (बेडशीट)		
9.	गर्म चद्दर		
10.	कम्बल (ब्लैकेट)		
11.	वाहन शीट कवर सेट		
12.	वाहन के पर्दे सेट		
13.	वाहन दरी सेट		
14.	तकिया कवर		
15.	कुर्सी सीट कवर		
16.	कुशन सीट कवर		

कोटेशन मुहरबंद लिफाफे में सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,, अजमेर को दिनांक 22-2-21 को दोपहर 1.00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए जो उसी दिन इस कार्य हेतु, गठित कमेटी के समक्ष अपरान्ह 3.00 बजे खोली जायेगी। लिफाफे पर "धुलाई कार्य हेतु निविदा" अंकित करना होगा। धुलाई की दरें स्पष्ट अंकित करनी होगी। अनुमोदित फर्म को धुलाई कार्य का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा तथा बिल में से नियमानुसार आयकर की कटौती की जावेगी। अघोहस्ताक्षरकर्ता को निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने का पूण अधिकार रहेगा। कार्य सही एवं समय पर नहीं करने पर उचित राशि की कटौती/कार्यादेश रद्द करने का आयोग को पूर्ण अधिकार होगा। धुलाई के लिए सामग्री की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर की जानी होगी। धुलाई के बाद वस्त्रों पर प्रेस भी की जानी आवश्यक होगी। धुलाई के लिए कपडे आयोग से प्राप्त करने एवं वापस पहुंचाने की जिम्मेदारी अनुमोदित फर्म की होगी। कपडो के खोने/खराब होने पर लागत राशि की कटौती/वसूली की जा सकेगी। अनुमोदित फर्म को कार्यादेश पर रु.2375/- कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराना आवश्यक होगा। जी.एस.टी. भुगतान की जिम्मेदारी निविदा दाता की होगी। जी.एस.टी. हेतु आयोग द्वारा पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।


उप सचिव